न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2489–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच प्रकरण कमांक 32/बी–121/2013–14.

नन्दकिशोर पिता कंवरलाल गुर्जर
निवासी मजिरिया तहसील मनासा,
जिला नीमच म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. भोनीबाई पिता बरदाजी
2. नंदा पिता बरदाजी
3. सिताराम पिता बरदाजी
   समस्त निवासी मजिरिया
   तहसील मनासा जिला नीमच
4. अर्जून सिंह पिता बच्चासिंह
   निवासी मजिरिया, मुहाल ुकाम गली न0 6,
   इस्ट विनोद नगर, नई दिल्ली

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री एन0एस0 सिसोदिया, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 5 नवम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच के आदेश दिनांक 30–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1,2 एवं 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम मजिरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 7/3 रकबा 0.906 हे0 के संबंध में संहिता की धारा 170(ख) के तहत अनावेदक कमांक 4 एवं निगरानीकर्ता के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसे विपक्षी कमांक 2 के रूप से नाम कम किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30—6—15 के द्वारा कब्जा छोडने एवं 20000/— का मुचलका देने के आदेश दिये दिये। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदक कमांक 1,2 एवं 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 170(ख) के तहत अनावेदक कमांक 4 एवं निगरानीकर्ता के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर सिर्फ बटाईदार के रूप में खेतीकर रहा है इसलिये वह किसी भी रूप में पक्षकार नहीं हो सकता। निगरानीकर्ता के विरूद्ध कोई सहायता अनावेदकगण प्रापत करने के कानूनी अधिकार नहीं है। यह भी तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 3 की परीधी में निगरानकर्ता नहीं आता है इसलिए निगरानीकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। तर्क में यह भी कहा कि प्रकरण में अभी किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई न ही कोई साक्ष्य निगरानीकर्ता के विरूद्ध रिकार्ड पर है। इस प्रकार बिना किसी साक्ष्य या जांच के विवादित आदेश न्यायिक आदेश की परीभाषा में नहीं आता है। यह भी कहा कि निगरानीकर्ता जो कि बटाईदार है उक्त भूमि पर से अधिपत्य हटाने के संबंध में किस कानून की किस धारा के अंतर्गत आदेश दिया गया जबकि इस प्रकार का आदेश देने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत संहिता की धारा 170(ख) के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रकरण में बटाईदार के रूप में खेती करने के कारण निगरानीकर्ता को पक्षकार बनाया गया था। निगरानीकर्ता ने अपना नाम कम करने बावत आवेदन किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने निगरानीकर्ता का आवेदन अस्वीकार किया तथा भूमि पर से कब्जा हटाने तथा 20000/— का व्यक्गित मुचलका पेश करने का आदेश दिया। प्रकरण आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी के अन्तरण से संबंधित है। अनावेदक द्वारा स्वयं यह माना है कि विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में बटाईदार के रूप में कृषि कर रहा है। इस प्रकार वह स्वतः विवादित भूमि पर पक्षकार हो गया है। यदि वास्तव में निगरानीकर्ता ही भूमि पर कृषि करता है चाहे किसी भी रूप में हो उसे पक्षकार माना जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा दस्तावेज पेश किए तथा उभयपक्ष को समक्ष में सुनने के पश्चात ही आदेश दिया है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। चूंकि आवेदक द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया कि वह बटाईदार के रूप में विचाराधीन भूमि पर कृषि कर रहा है, अतः उसे पक्षकार मानने के सम्बन्ध में अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं थी। उक्त आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर